

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कुसमी जिला- बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.)

क्रमांक/2694 /वाचक/अ.वि.अ/2025

कुसमी, दिनांक 04/03/2025

प्ररूप- ग

[नियम 3(2) देखिए]

अनुमति

प्रति,

बचन पिता साधु

ग्राम- टाटीझरिया तहसील- सामरी, थाना- सामरी

जिला- बलरामपुर- रामानुजगंज (छ0ग0)

विषय :- प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति ।

विषयान्तर्गत आपका आवेदन दिनांक 08/01/2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन हेतु ज्ञापन दिनांक-08/01/2025 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक- 20/01/2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार हैं :-

क्रमांक	प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति	संख्या	रोपित वृक्षों की प्रजाति	संख्या
1	नीलगिरी	29	-	-
				योग - 29

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि खसरा नंबर 220/2 रकबा 2.2950 हे0 ग्राम टाटीझरिया प.ह.न 09 तहसील सामरी स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति नीलगिरी एवं संख्या 29 हैं, मैं से 10 वृक्ष को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र.9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।



क्रमांक/2694 /वाचक/अ.वि.अ/2025

कलेक्टर महोदय, बलरामपुर- रामानुजगंज को सादर सूचनार्थ।

वनमंडलाधिकारी, बलरामपुर- रामानुजगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।

तहसीलदार, तहसीलसामरी..... को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी

जिला- बलरामपुर- रामानुजगंज (छ0ग0)

जिला- बलरामपुर- रा0गंज (छ0ग0)
कुसमी, दिनांक 04/03/2025

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी

जिला- बलरामपुर- रामानुजगंज (छ0ग0)

जिला- बलरामपुर- रा0गंज (छ0ग0)